

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कूचामन)

थी/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण


पाल

बनाम

मोहन वगैरह

रसम प्रकरण : राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 112 / 2020

दिनांक	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
04.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 88, 188 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 18.09.2020 से न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील वादी के निवेदन पर वकील वादी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे जिसके पश्चात दिनांक 23.12.2024, 30.03.2026 भी अन्तिम अवसर हिदायत एवं कॉस्ट अदायगी के साथ दिया गया था। परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है।</p> <p>अतः वादी का वाद अधीन धारा 88, 188 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कूचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां</p>	